[2019] 8 एस. सी. आर. 669

अब्दुल कुद्दुस

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2019 की सिविल अपील संख्या 5012)

17 मई, 2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, दीपक गुप्ता और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय नागरिकता का मुद्दा)

पहचान पत्र) नियम, 2003: अनुसूची, अनुच्छेद 3 (2) और अनुच्छेद 8-असम राज्य में व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति के बीच संघर्ष-का निर्णय-आयोजितः पैराग्राफ 3 (2) उन व्यक्तियों के अलग वर्ग से संबंधित है जिन्हें सक्षम प्राधिकरण द्वारा अवैध प्रवासी या विदेशी घोषित किया गया है-ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किया जा सकता है-ऐसे व्यक्ति इस आधार पर भारत की नागरिकता का दावा नहीं कर सकते हैं कि वे असम राज्य में रह रहे हैं जबकि पैराग्राफ 8 पैराग्राफ 7 के तहत प्रकाशित अंतिम सूची के तहत आपत्ति दर्ज करने वाले और निर्णय के परिणाम से संतुष्ट नहीं होने वाले व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्रदान करता है-ऐसे व्यक्ति साठ दिनों की अवधि के भीतर 1964 के आदेश के तहत गठित नामित न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं और न्यायाधिकरण द्वारा अपील के निपटारे पर, ऐसे व्यक्तियों को तदनुसार असम राज्य में एन. आर. सी. से शामिल या हटाया जा सकता है।

विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय और निर्णय इसके अलावा, पैराग्राफ 8 में उसी प्राधिकरण के समक्ष दूसरे दौर के मुकदमे की परिकल्पना और प्रावधान नहीं है-विदेशी न्यायाधिकरण अंतिम सूची तैयार करने पर और उसके बाद-न्यायाधिकरण की राय/आदेश, या पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश। विदेशी न्यायाधिकरण की राय के आधार पर, हो सकता है

रिट कार्यवाही के माध्यम से चुनौती दी गई-विदेशी न्यायाधिकरण की राय और/या पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पारित परिणामी आदेश-नागरिकता अधिनियम, 1955-विदेशी अधिनियम, 1946-विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के रूप में कार्य करेगा।

[2019] 8 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधानः कला. 142 - शक्ति का प्रयोग और।

असम राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति के संबंध में विवादों को तय करने के लिए एक अपीलीय मंच का निर्माण-एच अपीलीय आयोग के निर्माण के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

और विधान के लिए आरक्षित विधान के क्षेत्र में प्रवेश करना

सर्बानंद सोनोवाल बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2005)

5 एससीसी 665: [2005] 1 पूरक। एससीआर 472; सर्बानंद

सोनोवाल (11) v. भारत संघ और ए. एन. आर. (2007) 1 एससीसी

174 [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 167; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1) v. समाज कल्याण और अन्य संस्थान। (2002)

5 एससीसी 685: [2002] 3 एस. सी. आर. 1040; श्रीमती उज्जंबई वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. ए. आई. आर. 1962 एससी 1621;

डॉ. जे. जे. मर्चेंट और अन्य। वी. श्रीनाथ चतुर्वेदी (2002)

6 एससीसी 635: [2002] 1 पूरक। एस. सी. आर. 469; राजेश कुमार

& ओआरएस। वी. डी. वाई. सी. आई. टी. और अन्य। (2007) 2 एससीसी 181: [2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 284; पी. रामचंद्र राव बनाम की स्थिति

कर्नाटक (2002) 4 एस. सी. सी. 578; प्रवासी भलाई

संगथन वी. भारत संघ (2014) 11 एससीसी 477: [2014] 4 एस. सी. आर. 446-संदर्भित।

मामला

कानून संदर्भ

[2005] 1 पूरक। एससीआर 472

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[2006] 10 पूरक। एससीआर 167

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

[2002] 3 एससीआर 1040

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

ए. आई. आर. 1962 एससी 1621

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2002] 1 पूरक। एससीआर 469

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2006] 8 पूरक। एससीआर 284

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

(2002) 4 एस. सी. सी. 578

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[2014] 4 एससीआर 446

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

नागरिक/आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः सी.

2019 की अपील सं. 5012।

गौ के 07.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 1073 में गुवाहाटी में उच्च न्यायालय।

सी. ए. सं. के साथ। 5025 , 5026 , 5013 , 5014 , 5015 , 5024 , 5016 , 5

5021 , 5023 , 5018 , 5022 , 5019 और 2019 का 5020 अब्दुल कुद्दुस बनाम।

भारत और अन्य का संघ

2019 का सी. आर. एल. ए. संख्या 910

कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता। , फ़ुज़ैल अहमद अयूबी, निजाम पाशा, इबादत मुश्ताक, सुश्री अदिति गुप्ता,

सुश्री तहशीना जेड. हुसैन, सुश्री लुबना नाज, सुश्री कुनिका, सुश्री लालरोटलुआंगी, अभिषेक सरकार, सुश्री हीना खाना, अविजीत रॉय, अनस तनवीर, सुश्री प्रांजल किशोर, सुश्री कामाक्षी एस. महलवाल, मृगांक

प्रभाकर, ए. एस. तपदार, सुश्री साक्षी बंगा, पीयूष के. रॉय, श्रीमती काकली रॉय, राजन के. चौरसिया, कौशिक चौधरी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री माधवी दीवान, ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., शुभदीप रॉय, रजत नायर, रिजुक सरकार, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, रजत।

नायर, एस. देशमुख, बी. वी. बलराम दास, अविजीत रॉय, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

आदेश

संजीव खन्ना, जे।

1. देरी को माफ कर दिया गया। छुट्टी दे दी गई।

2. यह आदेश नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 (संक्षेप में "2003 नियम") की अनुसूची के उप-पैराग्राफ (2) से पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 8 के बीच कथित संघर्ष का फैसला करता है। हम अपीलार्थियों के वैकल्पिक तर्क और सुझाव की भी जांच करेंगे कि इस न्यायालय को न्यायिक निर्णय के माध्यम से और अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। भारत के संविधान में असम राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति के संबंध में विवादों को तय करने के लिए एक अपीलीय मंच का प्रावधान और निर्माण किया गया है।

3. संविधान के अनुच्छेद 5 से 9 व्यक्तियों का वर्णन और निर्धारण करते हैं।

जो संविधान के प्रारंभ पर भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 10 संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन नागरिक के रूप में उनके बने रहने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 11 स्पष्ट रूप से संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "नागरिकता अधिनियम") लागू किया है जो जन्म, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र के समावेश द्वारा संविधान के प्रारंभ के बाद नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. नागरिकता अधिनियम की धारा 14 ए में कहा गया है कि केंद्र

आरएनएम अनिवार्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकता है और जारी कर सकता हैउसे नाल पहचान पत्र। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रख सकती है और एक राष्ट्रीय रजिस्टर स्थापित कर सकती है।

इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण। पालन की जाने वाली प्रक्रिया

नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण वैसा ही होगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।

5. नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए में असम समझौते के दायरे में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के विशेष प्रावधान शामिल हैं। इसके लिए

वर्तमान आदेश को ध्यान में रखते हुए, हम नागरिकता अधिनियम की उप-धारा (3) धारा 6 ए को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे जो निम्नानुसार हैः

" 6 ए. कवर किए गए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में विशेष प्रावधान

(3) उप-धारा (6) और (7) के प्रावधानों के अधीन, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो (क) निर्दिष्ट क्षेत्र से 1 जनवरी, 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम आया था; और

(ख) असम में प्रवेश करने की तारीख से सामान्य रूप से

असम में निवासी; और (ग) विदेशी होने का पता चला है,

द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्वयं को पंजीकृत करेगा

केंद्र सरकार इस संबंध में धारा 18 के तहत इस प्रकार

प्राधिकरण (इसके बाद इस उप-धारा में पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) जो ऐसे नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है और यदि उसका नाम है

किसी भी विधानसभा या संसद के लिए किसी भी मतदाता सूची में शामिल इस तरह के पता लगाने की तारीख को लागू निर्वाचन क्षेत्र, उसका नाम होगा

वहाँ से हटा दिया जाए। स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के तहत पंजीकरण की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत गठित न्यायाधिकरण की राय, जिसमें ऐसे व्यक्ति को विदेशी माना गया है, को इस उप-धारा के खंड (सी) के तहत आवश्यकता का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा और यदि कोई सवाल उठता है कि क्या ऐसा व्यक्ति इस उप-धारा के तहत किसी अन्य आवश्यकता का पालन करता है, तो पंजीकरण प्राधिकरण, "अब्दुल कुद्दुस बनाम।

(i) यदि ऐसी राय में ऐसी अन्य आवश्यकता के संबंध में कोई निष्कर्ष है, तो ऐसे निष्कर्ष के अनुरूप प्रश्न का निर्णय लें;
((ii) यदि ऐसी राय में ऐसी अन्य आवश्यकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं है, तो प्रश्न को उक्त आदेश के तहत गठित एक न्यायाधिकरण को संदर्भित करें, जो ऐसे नियमों के अनुसार अधिकार क्षेत्र रखता है जो केंद्र सरकार धारा 18 के तहत इस संबंध में बना सकती है और प्राप्त राय के अनुरूप प्रश्न का निर्णय ले सकती है।

इस संदर्भ में "।

धारा 6 ए की उप-धारा (3) में कहा गया है कि उप-धारा (6) और (7) के प्रावधानों के अधीन, वे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी, 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम आए हैं। निर्दिष्ट क्षेत्र और प्रवेश की तारीख से असम के सामान्य निवासी रहे हैं और विदेशी पाए गए हैं, वे पंजीकरण कराएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्वयं पंजीकरण प्राधिकरण के साथ। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का नाम है

यदि किसी विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया है, तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। धारा 6 ए (3) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 (संक्षेप में 1964 का आदेश) के तहत न्यायाधिकरण की राय कि वह व्यक्ति विदेशी था, उप-धारा (3) की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मानी जाएगी। न्यायाधिकरण की राय नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की उप-धारा (3) की किसी भी अन्य आवश्यकता के संबंध में भी बाध्यकारी है। यदि अन्य आवश्यकताओं पर न्यायाधिकरण की पूर्व राय मौन है तो पंजीकरण प्राधिकरण को मामले को उक्त आदेश के तहत गठित न्यायाधिकरण को भेजने की आवश्यकता है। इसके बाद, न्यायाधिकरण से प्राप्त राय के अनुरूप पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रश्न का निर्णय लिया जाता है।

6. 1964 के आदेश का विज्ञापन करने से पहले, हम नियम 4 ए और 2003 के नियमों की अनुसूची का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसे निम्नलिखित द्वारा जोड़ा गया थाः

असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर से संबंधित एक विशेष प्रावधान के रूप में जी. एस. आर. 803 (ई) दिनांक 9 नवंबर, 2009। 2003 के नियमों का नियम 4 ए इस प्रकार हैः

" 4 ए. भारतीय राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में विशेष प्रावधान

असम राज्य के नागरिक-(1) नियम 4 में कुछ भी, नागरिकता (नागरिकता का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) संशोधन नियम, 2009 के शुरू होने पर और उसके बाद, असम राज्य पर लागू नहीं होगा।

19] 8 एस सी आर।

(2) केंद्र सरकार, इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय

राज्य में भारतीय नागरिकों का रजिस्टर। असम सरकार, असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की तैयारी के लिए सभी निवासियों से आवेदन आमंत्रित करके, निर्दिष्ट संग्रह के लिए पूरे असम राज्य में कार्य करने का कारण बनती है।

राज्य के स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से संबंधित विवरण, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 पर आधारित नागरिकता की स्थिति और मतदाता सूची शामिल है।

24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि।

(3) नागरिक पंजीकरण महापंजीयक आधिकारिक राजपत्र में गणना की अवधि और अवधि को अधिसूचित करेगा।

(4) असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने का तरीका ऐसा होगा जैसा कि असम राज्य में निर्दिष्ट किया गया है। इन नियमों के साथ अनुसूची संलग्न की गई है।

नियम 4 ए के उप-नियम (2) में कहा गया है कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के उद्देश्य से

असम राज्य राज्य में स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार और व्यक्ति से संबंधित निर्दिष्ट विवरणों के संग्रह के लिए सभी निवासियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 के आधार पर नागरिकों की स्थिति और 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक मतदाता सूची शामिल है। असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने का तरीका 2003 के नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा।

7. हम पूरी अनुसूची को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अनुसूची के पैराग्राफ 2 का उल्लेख करना चाहते हैं जो इसके लिए अधिदेश निर्धारित करता है -

राष्ट्रीय प्रारूप तैयार करने का तरीका तैयार और निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 के आधार पर असम राज्य में भारतीय नागरिकों का रजिस्टर और 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक मतदाता सूची। इस प्रकार तैयार की गई सूची को प्रकाशित किया जाना चाहिए और प्रत्येक गाँव और वार्ड में व्यापक प्रसार और सार्वजनिक निरीक्षण के लिए भारतीय नागरिकों के स्थानीय पंजीयक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारतीय नागरिकों के स्थानीय पंजीयक को आवेदन पत्र प्राप्त करना और आवेदकों को रसीद जारी करना अनिवार्य है।

8. 2003 के नियमों की अनुसूची के उप-पैरा (3) से पैरा 2 तक

यह नीचे लिखा हैः

" स्थानीय नागरिक पंजीकरण पंजीयक, उप-पैराग्राफ (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद अब्दुल कुद्दुस v. की जांच करेगा।

भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

आवेदनों और उनके सत्यापन के बाद, उनकी एक समेकित सूची तैयार करें जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम शामिल होंगेः

अर्थात्ः

जिन व्यक्तियों के नाम 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक या राष्ट्रीय नागरिक पंजी, 1951 में किसी भी मतदाता सूची में दिखाई देते हैं;

ऊपर खंड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के वंशज।

इस उप-पैरा में कहा गया है कि स्थानीय पंजीयक को, उप-पैरा (2) के संदर्भ में नागरिकों से राशन की प्राप्ति के बाद, सत्यापन के बाद उनकी जांच करनी होती है और उनके नामों सहित एक समेकित सूची तैयार करनी होती है।जिनके नाम 24 मार्च, 1971 की रात तक किसी भी मतदाता सूची में या राष्ट्रीय नागरिक पंजी में दिखाई दिए थे,

और ऐसे व्यक्तियों के वंशज।

9. 2003 के नियमों की अनुसूची का अनुच्छेद 3 निम्नानुसार हैः

" 3. आवेदनों की जांच-(1) आवेदनों की जांच पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (3) के तहत प्राप्त आवेदन पत्र में बताई गई जानकारी की तुलना आधिकारिक रिकॉर्ड से की जाएगी और जिन व्यक्तियों की जानकारी क्रम में पाई जाती है, वे आवेदन पत्र में अपने नाम शामिल करने के पात्र होंगे।

समेकित सूची। (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध प्रवासी या विदेशी घोषित किए गए व्यक्तियों के नाम इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे।

समेकित सूचीः बशर्ते कि उन व्यक्तियों के नाम जो 1966 के बाद और 25 मार्च, 1971 से पहले असम राज्य में आए थे और जिन्होंने विदेशी पंजीकरण क्षेत्रीय अधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत किया था और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध प्रवासी या विदेशी घोषित नहीं किया गया है, वे इसमें शामिल होने के पात्र होंगे।

समेकित सूची; (3) उन व्यक्तियों के नाम जो मूल रूप से असम राज्य के निवासी हैं और उनके बच्चे और वंशज, जो भारत के नागरिक हैं, को समेकित सूची में शामिल किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता उचित संदेह से परे सुनिश्चित की जाती है।

और पंजीकरण प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए; [2019] 8 एस. सी. आर.

2 , मामले को जाँच और उसके निर्णय के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भेजें और स्थानीय नागरिक पंजीकरण पंजीयक भी व्यक्ति या परिवार को इसकी सूचना दें;

(5) स्थानीय नागरिक पंजीयक, संबंध में, कर सकता है

एक व्यक्ति जो

अंतर-राज्य पत्राचार के माध्यम से, या, जैसा भी मामला हो, अंतर-जिले के माध्यम से ऐसे व्यक्ति से संबंधित जानकारी का सत्यापन करें। पत्राचार "।

पैराग्राफ 3 असम के मूल निवासियों, उनके बच्चों और वंशजों की समेकित सूची तैयार करने से संबंधित है यदि उनकी नागरिकता उचित संदेह से परे और पंजीकरण प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए निर्धारित की जाती है। उप-पैरा (4) के अनुसार पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (2) के तहत प्राप्त आवेदन में उल्लिखित माता-पिता के संबंध या किसी विशेष संबंध के संबंध में जांच के दौरान किसी भी संदेह के मामले में, स्थानीय नागरिक पंजीयक से इस मामले को जिले को भेजने की आवश्यकता होती है।

उसके द्वारा जाँच और निर्णय के लिए मजिस्ट्रेट। स्थानीय पंजीयक को ऐसे किसी भी निर्देश के बारे में व्यक्ति या उसके परिवार को सूचित करना आवश्यक है। उप-पैरा (5) से पैरा 3 उन व्यक्तियों के संबंध में स्थानीय पंजीयक द्वारा की जाने वाली जाँच से संबंधित है जो 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक असम राज्य के अलावा किसी अन्य स्थान पर रह रहे हैं या 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक असम राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित हो गए हैं। अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (2) में एक अलग वर्ग या उन व्यक्तियों के मामलों से संबंधित है जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध प्रवासी या विदेशी घोषित किया गया है। उप-पैरा (2) आदेश देता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार घोषित अवैध प्रवासियों या विदेशियों को समेकित सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम राज्य में आए थे और जिन्होंने विदेशी पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय में खुद को पंजीकृत किया था और जिनके पास अब्दुल कुद्दुस बनाम नहीं था।

अनुसूची के उप-पैरा (2) से पैरा 3 में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट भाषा के शब्दों को राष्ट्रीय नागरिक पंजी में शामिल किया जाए। जाहिरा तौर पर इसका कारण यह है कि उनकी नागरिकता की स्थिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। एक बार अवैध प्रवासी या विदेशी घोषित किया गया व्यक्ति इस आधार पर भारत की नागरिकता का दावा या दावा नहीं कर सकता है कि वह असम राज्य में रह रहा है। 11. हम अनुसूची के पैराग्राफ 4 से 7 का उल्लेख नहीं कर रहे हैं जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा समेकित सूची, अतिरिक्त सूची, दावों और आपत्तियों के प्रकाशन से संबंधित है जिसका नाम पैराग्राफ 2 के तहत प्रकाशित मसौदा सूची में नहीं आता है या ड्राफ्ट सूची या अतिरिक्त सूची में किसी नाम को शामिल करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त सूची या आपत्तियां हैं। हालाँकि, हम दोहराते हैं कि उक्त सूची में उन व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं होंगे जिन्हें अवैध प्रवासी या विदेशी घोषित किया गया है।

अनुसूची के उप-पैरा (2) से पैरा 3 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी। अन्य मामलों में, यानी उप-पैरा (2) से पैरा 3 तक के दायरे में नहीं आने वाले मामलों में, स्थानीय पंजीयक को आपत्तियों और दावों पर विचार करने के बाद नामों को शामिल करने और हटाने के लिए अनुसूची के पैरा 7 के तहत प्रकाशित करने के लिए एक पूरक सूची तैयार करनी होती है।

और उसके बाद, असम राज्य में राष्ट्रीय नागरिकों की अंतिम सूची बनाई जाए। 12. यह हमें 2003 के नियमों की अनुसूची के पैराग्राफ 8 पर लाता है जो इस प्रकार हैः

" 8. अपील-कोई भी व्यक्ति, पैराग्राफ 7 के तहत दावों और आपत्तियों के निर्णयों के परिणाम से संतुष्ट नहीं है,

विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत गठित नामित न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील करना पसंद करते हैं और न्यायाधिकरणों द्वारा अपील के निपटारे पर नामों को राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में, जैसा भी मामला हो, शामिल या हटा दिया जाएगा।

". [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ 8 उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्रदान करता है जिसने आपत्तियां दायर की थीं और निर्णय के परिणाम से संतुष्ट नहीं है।

पैराग्राफ 7 के तहत प्रकाशित अंतिम सूची के तहत। ऐसे व्यक्ति साठ दिनों की अवधि के भीतर 1964 के आदेश के तहत गठित नामित न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं और न्यायाधिकरण द्वारा अपील के निपटारे पर, ऐसे व्यक्तियों को तदनुसार न्यायाधिकरण से शामिल या हटाया जा सकता है। असम राज्य में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर। पैराग्राफ 8, इसलिए, 1964 के आदेश के तहत विदेशी न्यायाधिकरण को अनुसूची के पैराग्राफ 7 के तहत दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय मंच बनाता है।

13. 1964 का आदेश विदेशी अधिनियम, 1946 (संक्षेप में "विदेशी अधिनियम") की धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। 1964 के आदेश के तहत न्यायाधिकरणों के पास यह तय करने की शक्ति है कि वह व्यक्ति विदेशी अधिनियम के अर्थ के भीतर विदेशी है या नहीं। 2012 में इसके संशोधन से पहले 1964 के आदेश की इस न्यायालय द्वारा सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ मामले में जांच की गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत सरकार ने राज्य को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए यह माना कि "आक्रामकता" शब्द बहुत व्यापक महत्व का शब्द है और इसमें उन विदेशियों की आमद शामिल होगी जो अवैध रूप से प्रवास कर चुके थे। भारत सरकार और अखिल भारतीय छात्र संघ और असम राज्य के बीच समझौता ज्ञापन का भी संदर्भ दिया गया। पैराग्राफ 33 में सर्बानंद सोनोवाल (आई) ने 1964 के आदेश के तहत गठित न्यायाधिकरणों की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहाः

1 1 (2005) 5 एस. सी. सी. 665 अब्दुल कुद्दुस बनाम।

" 33. नागरिकता अधिनियम, 1955 की उप-धारा 6-ए (1) का खंड (बी) "विदेशी होने का पता चला" को परिभाषित करता है और इसका अर्थ है

विदेशियों के प्रावधानों के अनुसार एक विदेशी

एक न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम, 1946 और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964

उक्त आदेश के तहत गठित। इसी तरह, स्पष्टीकरण

धारा 6-ए (2) में विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत गठित न्यायाधिकरण की राय का भी उल्लेख किया गया है।

ऐसे व्यक्ति को विदेशी ठहराना "। ये प्रावधान असम राज्य में विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत गठित एक न्यायाधिकरण की स्थापना और कार्यप्रणाली को अनिवार्य करते हैं। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री के. के. वेणुगोपाल, असम राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक

बयान कि ऐसे न्यायाधिकरण वास्तव में राज्य में काम कर रहे हैं

असम का "।

इस प्रकार, आई. एम. डी. टी. अधिनियम को निरस्त कर दिया गया क्योंकि इसमें सबूत के बोझ के संबंध में विदेशी अधिनियम की धारा 9 के समान प्रावधान नहीं था।

यह देखते हुए कि राज्य के लिए किसी विदेशी नागरिक के प्रवेश की सटीक तारीख देना मुश्किल होगा जिसने गुप्त रूप से भारतीय राष्ट्रीय सीमा पार कर ली थी और यह कि अदालत एक मूक दर्शक नहीं रह सकती है।

अवैध प्रवासियों की निरंतर आमद। 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने यह टिप्पणी करने में संकोच नहीं किया कि 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए गठित आई. एम. डी. टी. अधिनियम अपने उद्देश्य में जानबूझकर विफल रहा था।

14. इसके बाद, यह न्यायालय सर्बानंद सोनोवाल (द्वितीय) बनाम सर्वानंद सोनोवाल (द्वितीय) बनाम सर्वानंद सोनोवाल (द्वितीय) बनाम सर्व

भारत संघ 2 (संक्षेप में "सर्बानंद सोनोवाल (II)") ने विदेशी (न्यायाधिकरण) संशोधन आदेश 2006 को कई कारणों से रद्द कर दिया था, जिसमें उल्लेख किए गए और जिनका सर्बानंद सोनोवाल (I) ने समर्थन किया था। 1964 के आदेश के संबंध में संशोधन आदेश में न्यायाधिकरण को पहले इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं और केवल न्यायाधिकरण के इस बात से संतुष्ट होने पर कि बुनियादी तथ्य प्रथम दृष्टया स्थापित हैं कि अवैध प्रवासी होने के संदेह में किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा सकता है। सर्बानंद सोनोवाल (द्वितीय) मामले की खंड पीठ ने पैराग्राफ 64 और 65 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 64. सोनोवाल प्रथम में जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, यह संबंधित प्राधिकरण के लिए था कि वह न्यायाधिकरणों को मजबूत करे

1964 आदेश दें और उन्हें काम करने दें। ऐसा करने के बजाय, 2006 का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने 1964 के आदेश को असम राज्य में अव्यवहारिक पाया है; उन्होंने इस न्यायालय द्वारा उस ओर से दिए गए निर्देशों के बावजूद उस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया है। इस रवैये के कारणों पर अटकलें लगाना हमारा काम नहीं है। सोनोवाल में पहले के निर्णय में, प्रासंगिक सामग्री का उल्लेख किया गया है जो दर्शाता है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में इस तरह के अनियंत्रित आप्रवासन ने राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा पैदा किया है। इसलिए जो कहा गया था वह एक सख्त था

इस न्यायालय के पहले जारी किए गए निर्देशों का कार्यान्वयन

सोनोवाल I, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर भेजा जाए, जबकि समय बीतने के बावजूद, के तहत न्यायाधिकरणों

1964 आदेश को मजबूत नहीं किया गया था जैसा कि सोनोवाल I में निर्देश दिया गया था। ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। हमें एक बार फिर सोनोवाल प्रथम के साथ विलाप करना होगा कि अवैध प्रवासियों को सुनिश्चित करने के मामले में इच्छाशक्ति की कमी है

उन्हें देश से बाहर भेजा जाता है।

1946 के अधिनियम या नागरिकता अधिनियम और सोनोवाल में उजागर किए गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के संदर्भ में राष्ट्र की रक्षा के लिए केंद्र सरकार पर लगाए गए दायित्वों द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई। हम पहले भी असम के संबंध में 1964 के आदेश को निरस्त कर चुके हैं। इसलिए 2006 का आदेश अनुचित पाया गया है और शक्ति के मनमाने प्रयोग में जारी किया गया है। यह. रद्द या अमान्य घोषित किए जाने की आवश्यकता है। "

15. हमने सर्बानंद सोनोवाल (I) और (II) में दो निर्णयों का उल्लेख किया है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि हमारे सामने उठाए गए और नीचे देखे गए मुद्दों और तर्कों की पहले ही काफी जांच की जा चुकी है और उनसे निपटा जा चुका है और उन्हें खारिज कर दिया गया है। 16. उपरोक्त निर्णयों में विदेशी (न्यायाधिकरण) संशोधन आदेश, 2012 द्वारा इसके संशोधन से पहले 1964 के आदेश का उल्लेख किया गया था। अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए तर्कों की सराहना करने के लिए, हम पहले 1964 के संशोधित आदेश के पैराग्राफ 3 को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार हैः

अब्दुल कुद्दुस बनाम। भारत और अन्य का संघ [संजीव खन्ना, जे.]

" 3. प्रश्न के निपटारे की प्रक्रियाः

(1) न्यायाधिकरण उस व्यक्ति पर कार्य करेगा जिसे प्रश्न किया जाएगा।

कारण दर्शाओ नोटिस को मुख्य आधारों की एक प्रति के साथ संबंधित करता है जिस पर उसे विदेशी होने का आरोप लगाया जाता है। इस सूचना को यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी मामले में, केंद्र सरकार द्वारा किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह के प्रश्न के संदर्भ की प्राप्ति के दस दिनों के बाद नहीं दिया जाना चाहिए।

(2) न्यायाधिकरण उसे अभ्यावेदन दाखिल करके कारण दिखाने का उचित अवसर देगा। आम तौर पर, इस तरह का अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए उपरोक्त सूचना की सेवा की तारीख से दस दिनों से अधिक का समय नहीं दिया जाना चाहिए।

(3) न्यायाधिकरण उसे एक उचित अवसर देगा -

(6) न्यायाधिकरण ऐसे व्यक्तियों को सुनेगा, जिनके बारे में उसकी राय में सुनवाई की आवश्यकता है। (7) कार्यवाही के किसी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है या

ऐसा व्यक्ति या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत संबंध जिसे न्यायाधिकरण पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर सकता है। (8) स्थगन या किसी भी याचिका को देने की शक्ति का बहुत संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए।

(9) मामले की सुनवाई के बाद, न्यायाधिकरण संदर्भ के आदेश में इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को जितनी जल्दी हो सके अपनी राय प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रत्येक मामले का निपटारा किया जाना चाहिए।

तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और निष्कर्ष पर्याप्त होगा। (11) इस आदेश के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण के पास होगा

मामलों के निपटारे के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति

समयबद्ध तरीके से शीघ्रता से "।

17. उपरोक्त संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, अपीलकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि विदेशी न्यायाधिकरण का एक आदेश

कार्यकारी आदेश जो एक राय देता है और इसलिए, यह नहीं हो सकता है

एक निर्णय के साथ तुलनीय। विदेशी न्यायाधिकरण की संक्षिप्त राय, यह प्रस्तुत की जाती है, एक विस्तृत आदेश नहीं है और इसलिए, एक निर्णय या निर्णय नहीं है। उक्त निवेदन के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई राय 2003 के नियमों की अनुसूची के उप-पैरा (2) से पैरा 3 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकरण का आदेश नहीं है। इसके अलावा, विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा बनाई गई राय एक कार्यकारी आदेश होने के कारण न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य नहीं करेगी। यह है।

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुछ मामलों में, विदेशी अधिनियम के तहत विदेशी घोषित किए गए व्यक्तियों को मसौदे में शामिल किया गया है असम राज्य के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जबकि अन्य में भाई-बहन और ऐसे व्यक्तियों के करीबी रक्त संबंधों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे में नामित किया गया है। यह माना जाता है कि विरोधाभासों के इन मामलों में, एक पीड़ित व्यक्ति को 2003 के नियमों की अनुसूची के पैराग्राफ 8 का सहारा लेने का अधिकार होना चाहिए।

18. हमने दलीलों की जांच की है और यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उनके पास कोई बल नहीं है। विदेशी अधिनियम और नागरिकता

दोनों अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों सहित अधिनियम को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अधिनियम परस्पर संबंधित और सहयोगी अधिनियम हैं। उल्लेखनीय है कि नागरिकता अधिनियम के तहत बनाए गए नियम अधीनस्थ कानून हैं। 2003 के नियमों की अनुसूची के उप-पैरा (2) से पैरा 3 में प्रयुक्त सक्षम प्राधिकारी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से और इसमें कोई संदेह नहीं है कि विदेशी अधिनियम के तहत विधिवत गठित प्राधिकरण का संदर्भ है। वास्तव में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने यह इंगित करने और इस बात को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया कि 'सक्षम प्राधिकारी' अभिव्यक्ति के दायरे में कोई अन्य प्राधिकरण हो सकता है या जो योग्य होगा और जिसे 2003 के नियमों की अनुसूची के उप-पैरा (2) से पैरा 3 में संदर्भित एक सक्षम प्राधिकरण के रूप में माना जा सकता है।

1964 के संशोधित आदेश के पैराग्राफ 3 में 'सक्षम' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। प्राधिकरण 'जैसा कि अनुसूची के उप-पैरा (2) से पैरा 3, अब्दुल कुद्दुस v में भी उपयोग किया जाता है।

यद्यपि एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में एक अलग संदर्भ में जो अनुच्छेद 3 के संदर्भ में न्यायाधिकरण का संदर्भ देता है। इस तरह के संदर्भ की प्राप्ति पर, न्यायाधिकरण को अपनी राय/निर्णय प्रस्तुत करना होता है, जो नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए के स्पष्टीकरण के संदर्भ में राय/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। न्यायाधिकरण के निर्णयों को प्राथमिकता दी गई है।

इस प्रकार, अनुसूची के उप-पैरा (2) से पैरा 3 में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, निस्संदेह, विदेशी अधिनियम अर्थात 1964 के आदेश के तहत गठित न्यायाधिकरण होगा।

गवाहों को पेश करने और उनसे पूछताछ करने के लिए प्रार्थना पर विचार करने और अनुमति देने के लिए अधिकृत, जिसे परेशान करने वाला पाए जाने पर अस्वीकार किया जा सकता है, या देरी करने के इरादे से किया जा सकता है, आदि। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भी दर्ज किए जा सकते हैं। संबंधित व्यक्ति न्यायाधिकरण द्वारा अपनी राय देने से पहले सुनवाई की जानी चाहिए। संबंधित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या एक कानूनी व्यवसायी या एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी से निर्देश के बाद साठ दिनों की अवधि के भीतर राय दी जानी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम न्यायाधिकरण की राय को एक विस्तृत निर्णय के रूप में निर्धारित नहीं करते हैं और इसकी आवश्यकता होती है, फिर भी, यह स्पष्ट है कि दी गई राय में निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्यों और कारणों का उल्लेख होना चाहिए। यह एक निर्णय और एक आदेश है। विस्तृत निर्णय के बजाय समय सीमा तय करना और आदेश दर्ज करना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इन मामलों का शीघ्रता से और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाए। विदेशी न्यायाधिकरण की राय एक अर्ध-न्यायिक आदेश है न कि एक प्रशासनिक आदेश। 'अर्ध-न्यायिक आदेश' अभिव्यक्ति का अर्थ है लिखित रूप में एक निर्णय जो अदालत के अलावा किसी अन्य मंच द्वारा मुद्दों और प्रश्नों को लड़ने का निर्धारण और निर्णय करता है। दृढ़ संकल्प के नागरिक परिणाम होते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) बनाम समाज कल्याण संस्थान में अर्ध-न्यायिक निकाय का अर्थ है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब व्यक्तियों के किसी निकाय को विषयों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निर्धारित करने का कानूनी अधिकार होता है और न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का निकाय

अर्ध-न्यायिक निकाय और उनके द्वारा दिया गया निर्णय एक अर्ध-न्यायिक निर्णय है। यह एक अर्ध-न्यायिक आदेश भी होगा यदि कानून किसी प्राधिकरण को अधिकार देता है।

यह निर्णय लेने के लिए कि यह दो प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच नहीं है, बल्कि तब भी जब निर्णय प्राधिकरण के खिलाफ विषय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, बशर्ते कि प्राधिकरण को क़ानून द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता हो। इसके अलावा, जो बात एक प्रशासनिक अधिनियम को अर्ध-न्यायिक अधिनियम से अलग करती है, वह यह है कि एक अर्ध-न्यायिक निकाय को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, एक प्रशासनिक प्राधिकरण वह है जो नीति और समीचीनता द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को नियमों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है।

20. न्यायाधिकरण की राय/आदेश, या विदेशी न्यायाधिकरण की राय के आधार पर पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश,

जैसा भी मामला हो, इसे रिट कार्यवाही के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करना गलत होगा कि विदेशी न्यायाधिकरण की राय और/या पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पारित परिणामी आदेश न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य नहीं करेगा। न्यायाधिकरण की राय और पंजीकरण प्राधिकरण के आदेश दोनों के परिणामस्वरूप कानून के तहत अधिकारों/स्थिति का निर्धारण होता है और योग्यता पर एक प्रतियोगिता के बाद एक प्राधिकरण द्वारा जो आवश्यक रूप से बाद के लिए एक बाधा के रूप में काम करेगा।

एक ही मुद्दे/प्रश्न के पुनर्निर्धारण के लिए एक ही प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही। श्रीमती उज्जंबई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और Anr.4 मामले में इस अदालत ने माना है कि न्यायपालिका के सिद्धांत समान हैं। अर्ध-न्यायिक निकायों पर लागू होता है। जब भी कोई न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण कानून या तथ्य पर कोई निष्कर्ष देता है, तो उसके निष्कर्षों पर संपार्श्विक रूप से या दूसरे दौर में महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है और जब तक अपील में या रिट कार्यवाही के माध्यम से उलट नहीं किया जाता है, तब तक बाध्यकारी होते हैं। न्यायिक अधिनियम या निर्णय की विशेषता यह है कि यह सही या गलत को बांधता है। इस प्रकार, कोई भी त्रुटि, या तो

उस निकाय के अधिकार क्षेत्र के मामले में। डॉ. जे. जे. मर्चेंट एंड ओआरएस में। बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी ', जब विद्वान वकील ने दलील दी थी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उन तथ्यों के जटिल प्रश्नों की जांच नहीं कर सकता है जिनके लिए जांच और क्रॉस की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों सहित विशेषज्ञों की जांच और उपभोक्ता विवादों के संक्षिप्त प्रकृति के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जटिल प्रश्नों के निर्धारण के लिए उपयुक्त नहीं है, इस अदालत ने खारिज कर दिया

इन तर्कों और यह अभिनिर्धारित किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत,

4 ए. आई. आर. 1962 एससी 1621

5 (2002) 6 एस. सी. सी. 635 अब्दुल कुद्दुस बनाम।

1986 , संक्षिप्त परीक्षण के लिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाती है। केवल इसलिए कि मुकदमा संक्षिप्त प्रकृति का है, इसे अन्यायपूर्ण या अनुचित के रूप में अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

इसके अलावा, यह राजेश कुमार एंड ओआरएस में आयोजित किया गया था। बनाम डी. वाई. सी. आई. टी. और अन्य। कि जब वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण नागरिक या बुरे परिणाम सामने आते हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का अधिनियम और शक्ति संवैधानिक न्यायालयों के पास निहित है।

वर्तमान संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करें। 21. जब हम न्यायिक निर्णय के सामान्य सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त की गई पूर्व राय के बावजूद संबंधित व्यक्ति को विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमेबाजी के दूसरे दौर की अनुमति दी जानी चाहिए और वह हकदार होना चाहिए, दूरगामी है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। याचिका भ्रामक है और इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए और विफल होना चाहिए।

22. जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यायाधिकरण की राय/आदेश से व्यथित व्यक्ति, न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए निष्कर्षों/राय को चुनौती दे सकता है।

रिट याचिका जिसमें उच्च न्यायालय "निर्णय में त्रुटि" के सिद्धांत पर आधारित न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के प्रयोग में साक्ष्य और सामग्री के संदर्भ में मुद्दे की जांच करने का हकदार होगा।

प्रक्रिया बनाना ", आदि। यह न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों में एक 'त्रुटि' को ठीक करने और सुधारने के लिए एक आवश्यक जांच के रूप में कार्य करता है। 23. इस बात पर प्रकाश डाला गया कि परिवार के निकट सदस्यों के मामलों में भी विदेशी न्यायाधिकरण के विरोधाभासी निर्णय/राय हो सकते हैं।

इसलिए, एक अलग श्रेणी में आते हैं। हालाँकि, इस तरह का कोई भी संघर्ष हमें स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। किसी दिए गए मामले में, पीड़ित व्यक्ति को रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने की स्वतंत्रता होगी, या यदि आवश्यक हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्याय नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करें। कोई भी आदेश 6 (2007) 2 एससीसी 181 [2019] 8 एस. सी. आर.

निकट परिवार के सदस्यों के मामले में पारित किया गया, किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने वाले निर्णय आदेश के बाद, आवश्यक रूप से एक भौतिक साक्ष्य होगा जिस पर रिट याचिका या समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय विधिवत ध्यान दिया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है।

24. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 2003 के नियमों की अनुसूची का अनुच्छेद 8, जो 1964 के आदेश के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार देता है, केवल तभी लागू होगा और उन मामलों में, जहां 1964 के आदेश के तहत गठित न्यायाधिकरण ने पहले से ही इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक है या विदेशी। दूसरे शब्दों में, जहां 1964 के आदेश के तहत राष्ट्रीयता का मुद्दा और सवाल पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, वहां 2003 के नियमों की अनुसूची के पैराग्राफ 8 के तहत एक अपील बनाए रखने योग्य नहीं होगी। यह निर्धारण अनुसूची के तहत पंजीकरण प्राधिकरण और स्थानीय पंजीयक के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। पैराग्राफ 8 में उसी प्राधिकरण यानी विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमेबाजी के दूसरे दौर की परिकल्पना और प्रावधान नहीं है।

अंतिम सूची तैयार करने पर और उसके बाद 1964 के आदेश के तहत गठित किया गया। 2003 के नियमों की अनुसूची के पैराग्राफ 8 के प्रावधान तब लागू होंगे जब विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा पहले कोई निर्णय और निर्णय नहीं लिया गया हो।

25. वैकल्पिक निवेदन कि इस न्यायालय को एक अपील बनानी चाहिए

लिखित प्रस्तुतियों और तर्कों में मंच को दबाया नहीं गया है। हम इस तरह का कोई निर्देश नहीं देंगे और विधायिका के लिए आरक्षित कानून के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। यह एक खाली कानून का मामला नहीं है और न ही तथ्य न्यायालय को रिक्तता के मामलों की तरह शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराएंगे और जब बुनियादी मानवाधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सक्रिय कानून का पूर्ण अभाव हो [पी देखें। रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य और प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ 3]।

26. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, हम अपीलों का निपटारा करते हैं

और व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति पर निर्णय से संबंधित कथित संघर्ष पर अपीलार्थियों के तर्क को अस्वीकार करते हैं। हम इस तर्क को भी खारिज करते हैं कि इस न्यायालय को एक अपीलीय मंच के निर्माण का निर्देश देना चाहिए।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन 7 (2002) 4 एससीसी 578 8 (2014) 11 एससीसी 477